संख्या-3/2016/237एस0सी0/18-2-16-87/2015

प्रेषक,

प्रमोद कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 01 फरवरी, 2016

विषयः- सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल घोसी, जनपद मऊ की आसवनी में एथेनाल संयन्त्र की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-01/2016/1153एस0सी0/18-2-15-87/15 दिनांक 28 जनवरी, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से किसान सहकारी चीनी मिल घोसी जनपद मऊ में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल प्लान्ट (ई0एन0ए0) की स्थापना सम्बन्धी प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में किसान सहकारी चीनी मिल घोसी जनपद मऊ में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का अबसोल्यूट अल्कोहल प्लान्ट (फ़्यूल एथेनाल) के स्थान पर त्रुटिवश किसान सहकारी चीनी मिल घोसी जनपद मऊ में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल प्लान्ट (ई0एन0ए0) की स्थापना टंकित हो गया है।

अब कृपया उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल प्लान्ट (ई0एन0ए0) के स्थान पर "किसान सहकारी चीनी मिल घोसी जनपद मऊ में 20 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का अबसोल्यूट अल्कोहल प्लान्ट (फ़्यूल एथेनाल) की स्थापना पढ़ा जाए।"

3- तदनुसार उक्त सीमा तक शासनादेश को संशोधित समझा जाए। शासनादेश में प्राविधानित अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-3/2016/237(1)एस0सी0/18-2-16-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्यमंत्री घोषणा प्रकोष्ठ को उनके घोषणा विषयक पत्र सं0-मुमस/13/चौतीस/घोषणा/2016 दिनांक 11-01-16 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।